मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक F 9-12/1720/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 21-10-20

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- सेवापुस्तिका का समुचित संधारण ।

—••—

मानव अधिकार आयोग द्वारा शासन के ध्यान में लाया गया है कि शासकीय सेवक की सेवापुस्तिका गुम होने, काट-छांट होने एवं डुप्लीकेट सेवापुस्तिका का संधारण नियमानुसार नहीं करने से पेंशन प्रकरण निराकरण में अनावश्यक विलंब की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं । सेवापुस्तिका संधारण एवं सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय का नियत है, लेकिन इसके संधारण में आवश्यक सतर्कता एवं ध्यान नहीं दिए जाने के कारण उक्तानुसार स्थिति निर्मित हो रही है । सेवानिवृत्ति के दिन ही पीपीओ, जीपीओं देने का नियम है व सेवापुस्तिका को संभालकर रखने का दायित्व संबंधित कार्यालय का है, परन्तु विभिन्न शासकीय विभागों से शिकायत प्राप्त हुई है कि सेवा पुस्तिका गुम होने या उनमें काट-छांट होने से शासकीय सेवकों को समय पर पेंशन व अन्य स्वत्वों का भुगतान नहीं हो पा रहा है । अतः उक्त स्थिति के निराकरण हेतु निम्नांकित कार्यवाही निर्धारित की जाती है :-

(1) सेवा पुस्तिका का भौतिक सत्यापन राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्यालय में प्रतिमाह किया जाए जिससे सेवापुस्तिका गुमने की संभावना कम रहेगी एवं प्रविष्टियाँ भी समय-समय पर होगी ।

(2) शासन के पूर्व में निर्देश हैं कि कार्यालय द्वारा प्रत्येक शासकीय सेवक की सेवापुस्तिका की डुप्लीकेट कॉपी अनिवार्यतः रखी जाए । शासकीय सेवक की सेवापुस्तिका किसी अन्य कार्यालय को भेजे जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उसकी सेवापुस्तिका की डुप्लीकेट कॉपी में प्रविष्टियाँ पूर्ण हो गई हैं ।

(3) सेवा पुस्तिका डिजीटल रिकार्ड के रूप में भी रखी जाए और प्रत्येक कर्मचारी की पूर्ण जानकारी कम्प्यूटर में रखी जाए जिससे सेवापुस्तिका गुम होने की स्थिति में उसके पुर्ननिर्माण करने में सुविधा हो ।

(4) सेवापुस्तिका गुम होने पर संबंधित शासकीय सेवक जिनके प्रभार रखी जाती है, की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए एवं समयावधि में जाँच पूर्ण करके त्रुटिकर्ता शासकीय सेवक को दण्डित किया जाए ।

(5) नियंत्रण कर्ता अधिकारी द्वारा प्रशासनिक निरीक्षण के दौरान सेवापुस्तिकाओं के संधारण की स्थिति को निरीक्षण टीप में आवश्यक रूप से शामिल किया जाए ।

(6) शासन के पूर्व से निर्देश हैं कि वेतन वृद्धि स्वीकृत करने पर उसकी सेवा पुसितका में प्रविष्टि पर संबंधित शासकीय सेवक के हस्ताक्षर लिए जाने हैं । इस निर्देश का आवश्यक पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि सेवापुस्तिका गुम होने की संभावना में कमी होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

http://www.Finance.mp.gov.in

पृष्ठा.क्रमांक F 9-12/1720/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
4. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
7. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
13. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
14. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
15. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
16. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल ।
27. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
28. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
<u>मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल</u>

क्रमांक: एफ 5-1/2017/नियम/चार भोपाल,दिनांक 19 मई, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- सामान्य भविष्य निधि के मासिक कटौत्रे के संबंध में ।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 1255/99/सी चार दिनांक 8-7-1999.

—◆—

मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम 11 (1) (ख) का प्रावधान निम्नानुसार है; "वह इस प्रकार अभिव्यक्त की गई राशि कितनी भी राशि हो सकेगी किन्तु वह उपलब्धियों के बारह प्रतिशत से कम नहीं हो सकेगी तथा उसकी उपलब्धियों से अधिक नहीं हो सकेगी ।" इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा (पी.एफ.) नियम, 1955 में भी अंशदान की न्यूनतम कटौती का प्रावधान है ।

2/ शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ऊपरवर्णित नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि के अंशदान की कटौती नहीं की जा रही है ।

3/ कृपया सुनिश्चित करें कि सामान्य भविष्य निधि अभिदाता से उक्त अभिदान की निर्धारित न्यूनतम कटौती की जावे एवं पूर्व माहों में यदि अंशदान उपर्युक्त न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम काटा गया है तब ऐसी तारीख से वर्तमान तक की अन्तर की राशि भी संबंधित अभिदाता के वेतन से समायोजित करते हुए भविष्य निधि खाते में जमा कराई जावे ।

4/ कृपया समस्त अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सामान्य भविष्य निधि नियम के ऊपरवर्णित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 5-1/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13 मई, 2017

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग